बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

( योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–स्था०1/आ०2–22/2017 334 पटना, दिनांकः 28-09-18

**कार्यालय आदेश**

श्री शशिभूषण मंडल, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, किशनपुर प्रखड, सुपौल संप्रति प्रखड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, पिपरा प्रखंड, सुपौल के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–323231 दिनांक–23.08.2017 के साथ संलग्न जिला पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक–717–2/स्था०, दिनांक–30.04.2013 द्वारा समर्पित आरोप प्रपत्र के आलोक में निदेशालय के का०आ०सं०–319 सहपठित ज्ञापांक–2024 दिनांक–15.09.2017 द्वारा श्री शशिभूषण मंडल पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम – 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। इस विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता, सुपौल को संचालन पदाधिकारी तथा अनुमंडल पदाधिकारी, सुपौल को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, सुपौल के पत्रांक–259–2/रा०, दिनांक–21.02.2018 द्वारा श्री शशिभूषण मंडल के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी ने श्री मंडल द्वारा अपने बचाव में दाखिल किये गये कारण पृच्छा एवं उपस्थापन पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य एवं साक्ष्य के अवलोकनोपरांत मंतव्य दिया है कि

" आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध प्राप्त प्रपत्र 'क' जिसमें निम्नांकित आरोप गठित है, आर०टी०पी०एस० के तहत प्राप्त आवेदनों को शत्–प्रतिशत निष्पादन न करना, उच्चाधिकारियों के निदेशों का अनुपालन न करना, के आलोक में विभागीय कार्यवाही आरंभ की गई। आरोप पत्र में अंकित आरोप, आरोपी पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत कारण पृच्छा एवं इस पर उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा दिये गये मंतव्य प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि आंशिक/पूर्ण रूप से आर०टी०पी०एस० के तहत् प्रदत्त सेवाओं से संबंधित मामलो का निष्पादन आरोपी पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया है। परीक्षा में प्रतिनियुक्त होने के कारण भी सेवा प्रदान करने में विलंब होने का जिक्र आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने कारण पृच्छा में किया गया है। यह आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है। इस तथ्य का सहारा लेकर अपने कर्त्तव्यों एवं दायित्वो से बचा नहीं जा सकता है। नियंत्री पदाधिकारी होने के नाते आरोपी पदाधिकारी का यह नैतिक दायित्व था कि इनके अधीन पड़नेवाले सभी कार्यो का निष्पादन निर्धारित समय–सीमा के अन्दर हों, परन्तु सरकारी योजनाओं से संबंधित लंबित आवेदनो की सूची से स्पष्ट है कि ये सेवा प्रदान करने, शत्–प्रतिशत निष्पादन करने में विफल रहे हैं। इस प्रकार इन पर लगाया गया आरोप अंशतः प्रमाणित होता है। "



"नन्ही सी जान की पहली पहचान, उपहार में दे जन्म का प्रमाण"

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम – 18 में किये गये प्रावधान के तहत संचालन पदाधिकारी के आरोप अंशतः प्रमाणित पाये जाने के प्रतिवेदन पर श्री शशिभूषण मंडल से अभ्यावेदन प्राप्त किया गया। अपने अभ्यावेदन में श्री शशिभूषण मंडल ने यह उल्लेख किया है कि पेंशन, पारिवारिक लाभ एवं मुख्यमत्री कन्या विवाह का आवेदन प्रखंड के आर०टी०पी०एस० काउन्टर पर प्राप्त किये जाते थे। आर०टी०पी०एस० काउन्टर से प्राप्त विभिन्न आवेदन पर आवश्यक अनुसंशा के साथ स्वीकृति हेतु B.D.O स्तर से S.D.M को भेजा जाता था। स्वीकृति के उपरान्त आवेदन को निष्पादित किया जाता था। यह प्रक्रिया समय से चलता था, फलस्वरूप मार्च, 2013 से एक माह पूर्वतक उनके स्तर से Due date expired आवेदनों की संख्या शून्य था। मार्च, 2013 में मैट्रिक परीक्षा में उनकी Duty लगने तथा S.D.M सुपौल का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने के कारण स्वीकृत आवेदन विलंब से प्राप्त हुआ, फलस्वरूप आवेदन Due date expired हो गया। Expired आवेदन को एक महीने के अन्दर निष्पादित कर लिया गया था।

इस प्रकार उनके द्वारा उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है जो इन्होंने संचालन पदाधिकारी के समक्ष अपने कारण पृच्छा में दिया था, जिसके समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

4. इनके अभ्यावेदन में वर्णित यह तथ्य कि मार्च, 2013 में मौट्रिक परीक्षा में उनकी ड्यूटी लगने तथा S.D.M सुपौल का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने के कारण स्वीकृत आवेदन विलंब से प्राप्त हुआ, फलस्वरूप आवेदन Due date expired हो गया तथा Expired आवेदन को एक महीने के अन्दर निष्पादित कर लिया गया था, को संतोषजनक उत्तर नहीं माना जा सकता है। इन्होंने अपने जिम्मेवारी का सम्यक रूप से निर्वहन नहीं किया गया जिसके चलते आर०टी०पी०एस० के तहत प्राप्त आवेदनों का ससमय निष्पादन नहीं हो सका। अतएव इनका अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

5. उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि श्री शशिभूषण मंडल, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, किशनपुर प्रखंड, सुपौल का नियंत्री पदाधिकारी होने के नाते यह नैतिक दायित्व था कि उनके अधीन पडनेवाले सभी कार्यो का निष्पादन निर्धारित समय–सीमा के अन्दर हो, परन्तु ये सेवा प्रदान करने, शत्–प्रतिशत निष्पादन करने में विफल रहे हैं। इस प्रकार इनपर लगाया गया आरोप अंशतः प्रमाणित होता है।

6. उपर्युक्त वर्णित प्रमाणित आरोपों के लिए संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री शशिभूषण मंडल पर निन्दन एवं एक वेतनवृद्धि बिना संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

7. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री शशिभूषण मंडल, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, किशनपुर प्रखंड सुपौल, संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, पिपरा प्रखड, सुपौल पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम – 14 में किये गये प्रावधान के तहत निन्दन एवं एक वेतनवृद्धि बिना संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दंड अधिरोपित एवं ससूचित किया जाता है।

ह०/–

(राजेश्वर प्रसाद सिंह)

निदेशक

ज्ञापांक :– स्था०1/आ०2–22/2017 1973 पटना, दिनांक : 28.09.18

प्रतिलिपि :– सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना ।

2. उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना, को उनके पत्रांक–323231 दिनांक– 23.08.2017 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. जिला पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. जिला कोषागार पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. प्रखंड विकास पदाधिकारी, पिपरा प्रखंड, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. श्री शशिभूषण मंडल, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, किशनपुर प्रखंड, सुपौल संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, पिपरा प्रखंड, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक 28/09



" नन्ही सी जान की पहली पहचान, उपहार में दे जन्म का प्रमाण "